न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, क्रम–02
जयपुर महानगर–प्रथम

पीठासीन अधिकारी : **सुषमा शर्मा,**
आर.जे.एस.(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

जमानत प्रा.पत्र सीआईएस नं0 : 1096/2026
सीएनआर नंबर : RJJM010188342026

आकाश मेहरा पुत्र हनुमान मेहरा, निवासी गांव फूलबाग, थाना कोतवाली, जिला टोंक हाल मकान नंबर 140, दुर्गा विहार, पुलिस थाना मुहाना, जयपुर

..... प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लोक अभियोजक ..... अप्रार्थी

जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा (483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता)
प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0–276/2026 पुलिस थाना श्याम नगर, जयपुर
अपराध अन्तर्गत धारा– 304(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023

उपस्थिति :–
1. श्री सचिन कुमार भारद्वाज, अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त।
2. श्री मनीष कुमार गुप्ता, विद्वान अपर लोक अभियोजक वास्ते राज. राज्य।

आदेश **दिनांकः 19.06.2026**

1. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से यह जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विचारण न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम–06 जयपुर महानगर–प्रथम द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता दिनांक 11.06.2026 को निरस्त करने के आदेश को चुनौती देते हुए माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर–प्रथम के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जो विधिवत निस्तारण हेतु इस न्यायालय को अन्तरित होकर प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया, जिसकी नकल विद्वान अपर लोक अभियोजक को दिलाई गई।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से हैं कि परिवादिया मिताली राज भाटी द्वारा एक तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की पेश की गई कि उसका फोन दिनांक 04.06.2026 को अपराह्न 12.18 से 12.25 के बीच संतोष नगर में चोरी हुआ। फोन चोरी के समय छीना झपटी के दौरान चोर ने धक्का दिया और उसे चोटे आई। उसका फोन रेलमी 13 प्रो प्लस 5जी था। जिसपर पुलिस थाना श्याम नगर, जयपुर दक्षिण द्वारा एफआईआर संख्या 276/26 अंतर्गत धारा 304(2) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में दर्ज किया जाकर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। दौराने अनुसंधान प्रार्थी/अभियुक्त को दिनांक 09.06.2026 को गिरफ्तार किया गया तथा प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 304(2) भारतीय न्याय संहिता में अपराध प्रमाणित मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। तत्पश्चात् प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता दिनांक 11.06.2026 को खारिज किया गया। जिससे व्यथित होकर प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से हस्तगत जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में प्रस्तुत किया गया।

3. बहस के दौरान प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क है कि प्रार्थी निर्दोष है, उसे इस प्रकरण में मिथ्या आलिप्त किया गया है। अभियुक्त के विरूद्ध कोई अनुसंधान शेष नहीं है। अभियुक्त से कोई बरामदगी शेष नहीं है। प्रकरण में लम्बा समय लगने की संभावना है। अभियुक्त दिनांक 09.06.2026 से लगातार न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रार्थी/अभियुक्त राजस्थान का स्थाई निवासी है। प्रार्थी न्यायालय के आदेशानुसार जमानत मुचलकें पेश करने हेतु तैयार व तत्पर है, अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत तर्कों का विरोध करते हुए विद्वान अपर लोक अभियोजक ने निवेदन किया है कि प्रकरण में अब तक के अनुसंधान से प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध अपराध बखूबी प्रमाणित पाया गया है तथा अभियुक्त के विरूद्ध 07 अन्य प्रकरण दर्ज होना प्रकट है। अन्त में प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एकल पीठ आपराधिक विविध जमानत आवेदन क्रमांक 13513/2020 जुगल बनाम राजस्थान राज्य के मामले में प्रतिपादित न्यायिक मत के निर्देशानुसार अभियोजन पक्ष द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त के आपराधिक रिकार्ड बाबत प्रस्तुत विवरण में प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध हस्तगत प्रकरण के अतिरिक्त अन्य आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने से संबंधित निम्न रिपोर्ट पेश की गई हैः–

क्र. सं.	मु.न.	धारा	दर्ज दिनांक	पीएस	वर्तमान स्थिति
1	342/24	304(2),3(5) बीएनएस	04/10/24	मालवीय नगर	चालान पेश
2	346/24	304(2),3(5) बीएनएस	06/10/24	मालवीय नगर	चालान पेश
3	588/24	304(2) बीएनएस	25/09/24	बजाज नगर	चालान पेश
4	628/24	304(2) बीएनएस	16/09/24	जवाहर सर्किल	चालान पेश
5	668/24	304(2),115(2) बीएनएस	04/10/24	जवाहर सर्किल	चालान पेश
6	671/24	304(2) बीएनएस	04/10/24	जवाहर सर्किल	चालान पेश
7	341/24	304(2),3(5) बीएनएस	04/10/24	मालवीय नगर	चालान पेश

6. उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया गया। केस डायरी का अवलोकन किया गया। केस डायरी के अवलोकन से जाहिर होता है कि अभियुक्त पर छीना झपटी करते हुए परिवादिया का फोन छीनने का गंभीर प्रकृति के अपराध का आरोप है। अभियुक्त से प्रकरण में चुराई गई सम्पत्ति मोबाईल फोन भी जब्त की गई है। अभियुक्त का उक्त कृत्य अपराध अंतर्गत धारा 304(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023 में बाद अनुसंधान प्रमाणित पाए गए हैं। इसके अतिरिक्त अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व में भी कुल 07 प्रकरण दर्ज हैं तथा सभी मुकदमें उसी प्रकृति के हैं। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध हस्तगत प्रकरण के अलावा अन्य आपराधिक प्रकरण दर्ज होने का प्रश्न है, तो इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत 2003(1) एसएससी, पेज नं0 15 रामप्रताप यादव बनाम मित्र सैन यादव व अन्य, 2001(4) एससीसी, पेज नं0 280 प्रहलाद सिंह भाटी बनाम एनसीटी में यह सिद्धांत प्रतिपादित किये गये हैं कि अभियुक्त का जमानत आवेदन निस्तारित करते समय उसका आपराधिक रिकार्ड, पृष्ठभूमि, लम्बित व संस्थित रहे प्रकरण तथा आपराधिक मामलों में

उसकी रही संलिप्तता आदि सभी तथ्य सुसंगत हैं।

7. अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों व अपराध की गंभीरता को देखते हुए एवं अभियुक्त के आपराधिक रिकोर्ड के मध्य नजर मामले के गुणदोषों पर कोई टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त का यह जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किये जाने योग्य प्रतीत होता है।

: : आदेश : :

8. फलतः प्रार्थी/अभियुक्त आकाश मेहरा पुत्र हनुमान मेहरा, निवासी गांव फूलबाग, थाना कोतवाली, जिला टोंक हाल मकान नंबर 140, दुर्गा विहार, पुलिस थाना मुहाना, जयपुर द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एतद्नुसार अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

(सुषमा शर्मा)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
क्रम–2, जयपुर महानगर प्रथम

9. आदेश आज दिनांक 19.06.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया एवं हस्ताक्षरित किया गया ।

(सुषमा शर्मा)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
क्रम–2 जयपुर महानगर प्रथम

SHRIKRISHAN SHARMA

Steno Gr. III
"Authenticated document"
Digitally signed by SHRIKRISHAN SHARMA
Date: 2026.06.19 12:07:20 +0530